संख्या-1073/2025/1960/22-2-2023-17(561)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2025

विषय:- जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयराज सिंह पुत्र श्री चौहर्जा बक्श सिंह, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयराज सिंह पुत्र श्री चौहर्जा बक्श सिंह जो गौसपुर, थाना-आसपुर देवसरा, जनपद-प्रतापगढ़ का निवासी है। बन्दी द्वारा चकरोड के विवाद को लेकर दिनांक 07.07.2009 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा व बल्लम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 193/2010 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के दण्डादेश दिनांक 17.09.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ,लखनऊ में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 18.12.2022 तक अपरिहार 04 वर्ष, 08 माह, 01 दिन तथा 05 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 18.12.2022 तक 66 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी उदयराज सिंह पुत्र श्री चौहर्जा बक्श सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.12.2022 तक अपरिहार 04 वर्ष, 08 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की भोगी गयी आजीवन कारावास के सापेक्ष कम सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयराज सिंह (बन्दी संख्या-72/2018) पुत्र श्री चौहर्जा बक्श सिंह, निवासी जनपद-प्रतापगढ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1073/2025/1960(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।